6. चयन समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार में यथा लागू वित्तीय नियम और प्रक्रिया के अनुसरण में यात्रा और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे ।

7. चयन समिति का निर्णय बहुमत से होगा । दोनों तरफ समान मतदान की स्थिति में किसी बैठक विशेष की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष का मतदान निर्णायक होगा ।

8. चयन समिति प्रत्येक वर्ष यथा सम्भव एक मार्च तक अपने निर्णय की घोषणा करेगी ।

9. चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और कोई अन्य एजेंसी द्वारा पुष्टि की शर्त पर नहीं होगा तथा चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील या विरोध स्वीकार्य नहीं होगा ।